रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/फाल्गुन 19, 1938
No. 175] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

सा.का.नि.227(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 में -

   (क) नियम 3 में "वेतनमान" शब्द के लिए दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे

   (ख) अनुसूची में -

   (i) क्रमांक संख्या 1 के सामने वेतन और लेखा अधिकारी पद से संबंधित स्तंभ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा -

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
4
स्तर-9 53100-167800/-रु.

(ii) क्रमांक संख्या 2 के सामने वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद से संबंधित, स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा।

"स्तर-10 (56100-177500/-रु.)"

[फा.सं.ए-12018/1/2016/एमएफ.सीजीए/आरआर]

प्रदीप कुमार बैरवा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 750(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 272, तारीख 5 अगस्त, 2005 और सा.का.नि. 612(अ) तारीख 20 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2017

G.S.R. 227(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000,-

   (a) in rule 3, for the words "scale of pay" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

   (b) in the Schedule,-

   (i) against serial number 1 relating to the post of Pay and Accounts Officer, for column 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix"
4
Level-9 (Rs. 53100-167800/-)"

   (ii) against serial number 2 relating to the post of Senior Accountants Officer, for the entries under column 4, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-10 (Rs. 56100-177500/-)

[F. No. A-12018/1/2016/MF.CGA/RR]

PRADEEP KUMAR BERWAH, Jt. Controller General of Accounts

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 750(E), dated the 25th September, 2000 and subsequently amended vide G.S.R. 272, dated the 5th August, 2005 and G.S.R. 612(E), dated the 20th September, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

सा.का.नि.228(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में -

(क) नियम 3 में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्दों के लिए दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे

(ख) अनुसूची में -

(i) स्तंभ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा-

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
4
स्तर-2 19900-63200/-रु.

(ii) स्तंभ 11 के अधीन प्रविष्टियों में "ग्रेड वेतन 1800 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) में स्तर-1" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(iii) स्तंभ 12 के अधीन प्रविष्टियों में "ग्रेड वेतन 1800 रु." शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) में स्तर-1" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं.ए-12018/1/2016/एमएफ.सीजीए/आरआर]

प्रदीप कुमार बैरवा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 51(अ), तारीख 24 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2017

G.S.R.228 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Civil Accounts Service (Lower Division Clerk Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Lower Division Clerk Group 'C' post Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Accounts Service (Lower Division Clerk Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010.-

(a) in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in the Schedule,-

(i) for column 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix"
4
Level-2 (Rs. 19900-63200/-)"

(ii) in the entries under column 11, for the words and figures "Grade Pay of Rs. 1800", the words and figures "Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)" shall be substituted;

(iii) in the entries under column 12, for the words and figures "Grade Pay of Rs. 1800", the words and figures "Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900/-)" shall be substituted.

[F. No. A-12018/1/2016/MF.CGA/RR]

PRADEEP KUMAR BERWAH, Jt. Controller General of Accounts

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 51 (E), dated the 24th January, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

सा.का.नि. 229(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (स्टाफ कार ड्राइवर, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में, -

(क) नियम 3 में, शब्दों "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर दोनों जगह पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची में,-

(i) स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी के पद से संबंधित क्रम सं. 1 में, स्तंभ 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
4
स्तर-2 (19900-63200/-रु.)"

(ii) स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 के पद से संबंधित क्रम सं. 2 में, स्तंभ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-4 (25500-81100/-रु.)";

(iii) स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-I के पद से संबंधित क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-5 (29200-92300/-रु.)";

(iv) स्टाफ कार ड्राइवर विशेष श्रेणी, के पद से संबंधित क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"स्तर-6 (35400-112400/-रु.)"

[फा.सं.ए-12018/1/2016/एमएफ.सीजीए/आरआर]

प्रदीप कुमार बैरवा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

टिप्पण: मुल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 53(अ), तारीख 24 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2017

G.S.R.229(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Civil Accounts Service (Staff Car Driver Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Staff Car Driver Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Accounts Service (Staff Car Driver Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010,-

(a) in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in the Schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Staff Car Driver-Ordinary Grade, for column 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix"
4
Level-2 (Rs. 19900-63200/-)"

(ii) against serial number 2 relating to the post of Staff Car Driver-Grade-II, for the entries under column 4, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-4 (Rs. 25500-81100/-)";

(iii) against serial number 3 relating to the post of Staff Car Driver-Grade-I, for the entries under column 4, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-5 (Rs. 29200-92300/-)";

(iv) against serial number 4 relating to the post of Staff Car Driver- Special Grade, for the entries under column 4, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-6 (Rs. 35400-112400/-)";

[F. No. A-12018/1/2016/MF.CGA/RR]

PRADEEP KUMAR BERWAH, Jt. Controller General of Accounts

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-Section (i) vide notification number G.S.R. 53 (E), dated the 24th January, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2017

सा.का.नि.230(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (बहु-कार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (बहु-कार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (बहु-कार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 में -

   (क) नियम 3 में "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" शब्दों के लिए दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

   (ख) अनुसूची में -

   (i) स्तंभ 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
4
स्तर-1 (18000-56900/-रु.)"

   (ii) स्तंभ (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा और स्तंभ 7 से 14 को स्तंभ 6 से 13 के रूप में पुन: संख्यांक किया जाएगा।

[फा.सं.ए-12018/1/2016/एमएफ.सीजीए/आरआर]

प्रदीप कुमार बैरवा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 52(अ), तारीख 24 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2017

G.S.R.230(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Civil Accounts Service (Multi-tasking Staff, Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Multi-tasking Staff, Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Accounts Service (Multi-tasking Staff, Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010,-

   (a) in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

   (b) in the Schedule,-

   (i) for column 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix"
4
Level-1 (Rs. 18000-56900/-)"

(ii) column (6) and the entries relating thereto, shall be omitted and columns 7 to 14 shall be renumbered as columns 6 to 13.

[F. No. A-12018/1/2016/MF.CGA/RR]

PRADEEP KUMAR BERWAH, Jt. Controller General of Accounts

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 52 (E), dated the 24th January, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.10 16:13:15 +05'30'